

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत बाकारुमा से लैलूंगा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 3.843 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 12-07-2022

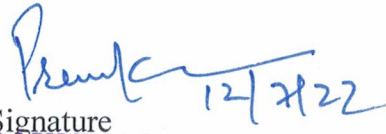
Place : Raipur

Name

Designation - Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department


Signature
PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-11/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 3 /07/2022

वनमहानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of Forest land for widening of Existing Road From Bakaruma – Lailunga Road area 3.843 ha. – regarding.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-780/1287, दिनांक 10.06.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदन विभाग का मांग पत्र - आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत बाकारुमा से लैलुंगा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 3.843 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1 – 2
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक-FP/CG/Road/36751/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2020 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रुपये कुल 24,000 रुपये जमा कराया गया है।	3 – 10
3	वन क्षेत्र का विवरण - प्रकरण में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलुंगा के कक्ष क्रमांक ग्राम सलखिया पी.एफ 187 रकबा 3.327 हे. हीरापुर पी.एफ. 193 रकबा 0.351 हे. और चारंगा पी.एफ 209 रकबा 0.165 हे. कुल 3.843 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	11 – 12
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित क्षेत्र में धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 7.739 हे. निजी भूमि एवं 5.274 हे. शासकीय भूमि कुल 13.013 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	13 – 14
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15 – 19
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप - वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	20 – 33

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव - प्रपत्र-4 में छत्तीसगढ़ विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बाकारूमा-लैलूंगा मार्ग लंबाई 22.920 कि.मी. के लिए प्रशासकीय लागत 72.53 करोड़ रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 से 0.5 तक है।	34- 39
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - वर्तमान में मार्ग में 3.00 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत सड़क है। सड़क यातायात घनत्व तथा इस क्षेत्र के ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टि से इसे 2 लेन मार्ग बनाना आवश्यक है। मार्ग निर्माण में डामरीकृत मार्ग 7.00 मी. चौड़ाई मार्ग (2 लेन) में 20.340 कि.मी. 10.00 मी. चौड़ाई (2 लेन), 2.578 कि.मी. का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, इसके अलावा 02 नग मध्यम वाक्स स्लैब पुल, छोटे पुलियों में 59 नग पाईप पुलिया, 02 नग स्लैब पुलिया कुल 63 नग पुल पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 5160 मी. नाली निर्माण, 2425 मी. पिछींग, 370 मी. टो वाल, पेव्ड शोल्डर ट्रेफिक साइनेज तथा रोड़ जक्शन डेवलपमेंट का कार्य भी प्रस्तावित है, साथ ही गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग तथा यात्री पड़ाव का भी प्रावधान मार्ग निर्माण कार्य में रखा गया है। उक्त मार्ग के निर्माण से राजधानी रायपुर से जिला रायगढ़ होते हुए लैलूंगा, झरन, खम्हार, सलखिया, धीयारगुड़ा, हीरापुर, राजपुर, सराईमुड़ा, चारंगा, राजगांव, रामपुर, बगुडेगा, बाकारूमा, आदि गांव राज्य मार्ग क्रमांक 17 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से होते हुए पत्थलगांव, बाकारूमा, आदि गांव राज्य मार्ग क्रमांक 17 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से होते हुए पत्थलगांव, अंबिकापुर से जुड़ जायेंगे।	40 - 43
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - प्रकरण में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के कक्ष क्रमांक ग्राम सलखिया पी.एफ 187 रकबा 3.327 हे. हीरापुर पी.एफ. 193 रकबा 0.351 हे. और चारंगा पी.एफ 209 रकबा 0.165 हे. कुल 3.843 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	44 - 45
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - प्रस्तावित बाकारूमा-लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मांग न्यूनतम है तदाशय का यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है।	46 - 47
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण संरक्षण, मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7 (एफ) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन एवं भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	48 - 67
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र -अ एवं ब में) - आवेदित क्षेत्र में धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 334 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	68 - 86
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस - परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न है।	87 - 94
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)-राजस्व वन क्षेत्र - प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) की आवश्यकता नहीं है।	95 - 96

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा — प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. क्षेत्र प्रस्तावित होने से आवश्यक नहीं।	97 — 98
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना — आवेदित वन भूमि 3.843 हे. के एवज में नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।	99 — 133
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र — वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	134 — 136
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण — वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	137 — 138
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण — वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	139 — 140
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही — प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	141 — 142
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र — आवेदित वन भूमि 3.843 हे. के एवज में नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	143 — 146
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान — प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	147 — 148
23	रिक्लेमेशन प्लान — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	149 — 150
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	151 — 152
25	व्यवस्थापन प्लान — प्रकरण में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	153 — 154
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) — प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ द्वारा दिनांक 06.05.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 14.03.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	155 — 162
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	163 — 164
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — प्रस्तावित परियोजना ग्राम सलखिया पी.एफ 187 रकबा 3.327 हे. हीरापुर पी.एफ. 193 रकबा 0.351 हे. और चारंगा पी.एफ 209 रकबा 0.165 हे. कुल 3.843 हे. के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	165 — 176

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल की कुल अधिसूचित वन भूमि 17,13,41.900 हे. है।	177 – 178
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 419.433 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	179 – 180
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।	181 – 182
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	183
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	184 – 185
34	वनअधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2021 को जारी किया गया है।	186 – 190
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से कलेक्टर, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	191 – 192
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	193 – 194
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	195 – 196
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – प्रस्तावित 3.843 हे. वन भूमि में साजा, साल, दावड़ा, कुसुम, बीजा, महुआ, हर्रा, बहेरा, सेन्हा, आदि प्रजाति के पौधे पाये जाते हैं। यह क्षेत्र ग्रेनाइट नीस, सिस्ट फिलाईट, बेसिक अल्ट्रा बेसिक शैल शामिल है। सिस्ट वर्ग के चट्टानों में बायोटाईट सिस्ट, क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पाई जाती हैं, वनस्पति विकास दर सामान्य है।	197 – 198
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।	199 – 200
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	201 – 202
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – बिन्दु क्रमांक -2 पर विवरण दिया गया है।	203 – 206
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	207 – 208

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण — लागू नहीं।	209 — 210
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण — प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।	211 — 212

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न: — प्रस्ताव 1 प्रति में।

Reginal
12.7.22
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-11/2022/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/07/2022

प्रतिलिपि:—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Reginal

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

o/c